भारत के राजपत्र के भाग –II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ

प्रकाशन विभाग

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक :

सा.का.नि.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा **प्रकाशन विभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भर्ती नियम, 2013**, जोकि भारत के राजपत्र में दिनांक **28 फ़रवरी, 2013** को प्रकाशित हुए थे, को, जहाँ तक उनका संबंध **अवर श्रेणी लिपिक (Lower Division Clerk)** के पद से है, उन कार्यों या कार्यवाहियों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए हों या किए जाने से रह गए हों, अधिक्रमित करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रकाशन विभाग में समूह 'ग' अराजपत्रित पद 'अवर श्रेणी लिपिक'** पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशन विभाग, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' – अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :-

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा शैक्षणिक योग्यताएँ आदि:-

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यताएँ तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसके पति या पत्नी जीवित हो; विवाह किया है, या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

Assistant Controller(Admin.)
Department of Publication
Ministry of Information and Broadcasting
Civil Lines, Delhi-110054

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:-

जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत,आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :-

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर	पद चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
अवर श्रेणी लिपिक	*41 (इकतालीस) (2026)** कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-2 (₹19,900–63,200)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिए आयु-सीमा में 40 वर्ष तक छूट प्रदान की जा सकती है।) टिप्पणी: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अर्हता। (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30

Assistant Controller(Admin.)
Department of Publication
Ministry of Information and Broadcasting
Civil Lines, Delhi-110054

					निर्णायक तिथि वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। जहाँ भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहाँ आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (अर्थात् 35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट क्रमशः प्रति घंटे 10,500 कुंजी दबाव (Key Depressions) तथा 9,000 कुंजी दबाव प्रत्येक शब्द के लिए औसतन पाँच कुंजी दबाव के अनुरूप होंगे।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
8	9	10	11
हां, स्तम्भ (11) में उपदर्शित सीमा तक	दो वर्ष।	(क) 50 प्रतिशत पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 25 प्रतिशत पद वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा; ऐसा न होने पर कर्मचारी	पदोन्नति: (i) रिक्तियों के 25 प्रतिशत पद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (₹18,000–56,900) में कार्यरत समूह 'ग' के कर्मचारी (बहुकार्यकारी कर्मचारी – एमटीएस), जिन्होंने उक्त स्तर में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, में से वरिष्ठता -सह-उपयुक्तता के आधार पर भरे जाएंगे। (ii) रिक्तियों के 25 प्रतिशत पद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (₹18,000–56,900) में कार्यरत ऐसे समूह 'ग' के कर्मचारी (बहुकार्यकारी कर्मचारी –

Assistant Controller(Admin.)
Department of Publication
Ministry of Information and Broadcasting
Civil Lines, Delhi-110054

		चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ग) 25 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; ऐसा न होने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	एमटीएस), जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अर्हता प्राप्त की हो तथा उक्त ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, में से विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा स्तंभ (12) में विनिर्दिष्ट अनुसार आयोजित विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष होगी। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह आयु-सीमा 50 वर्ष होगी।) टिप्पणी: यदि इस उपबंध के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी विभागीय अर्हता परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तो अतिरिक्त सफल कर्मचारियों पर आगामी वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा, ताकि पूर्व में आयोजित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर बाद में आयोजित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना			भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12			13
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति/पुष्टि समिति तथा प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामलों पर विचार करने हेतु समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :— 1. प्रकाशन नियंत्रक — अध्यक्ष 2. अवर सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय — सदस्य 3. उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक(प्रशासन) — सदस्य			लागू नहीं।

Assistant Controller(Admin.)
Department of Publication
Ministry of Information and Broadcasting
Civil Lines, Delhi-110054